

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री बाबूलाल पुत्र रामाजी नाई, निवासी
बिजोवा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 17 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/11	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>556-57 6/5/19</p>
29/5/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली द्वारा उनके द्वारा चांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जा रहा है। जो करावत जावे।</p> <p>अपीलांत अपील दर्ज रजिस्टर कर लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को जरिए पत्रांक 600 के द्वारा लिखित जाकर उक्त सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली ने अपील पत्रांक 1027 डि० 14-5-2019 के अन्तर्गत कराया कि चांछित सूचना अपीलाण्ट के जरिए पत्रांक 200/सू० 48/2019/388 डि० 14-5-2019 के जरिए उपलब्ध कराई है। लोक सूचना अधिकारी का पत्र चांछित पत्रावली है। इस अपील के संदर्भ में अब किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील क्लॉस की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से जरिए शुभारंभ के लिए की जाकर जम्मा से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>740 4/6/19</p>